भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 458

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएलआई योजना के उद्देश्य

458. श्री अ. मनिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन-सम्बन्धित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा इसकी सफलता का आकलन करने के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के संदर्भ में, कौन से संकेतक उपयोग किए जाते हैं;

(ख) तमिलनाडु में पीएलआई-समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कुल रोज़गारों की संख्या क्या है और क्या धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आस-पास कोई रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु के धर्मपुरी जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के दायरे का और विस्तार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है कि धर्मपुरी जैसे पिछड़े जिले औद्योगिक प्रोत्साहन और रोज़गार सृजन के माध्यम से पीएलआई योजना से लाभान्वित हों?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स

(एसी और एलईडी) (x) खाद्य सामग्री, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र आदि में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक रूप से चुना गया है ताकि उनकी मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

पीएलआई स्कीम के अंतर्गत चिन्हित सभी अनुमोदित क्षेत्र उन प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का अनुसरण करते हैं जहां भारत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए रोज़गार, निर्यात और समग्र आर्थिक लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया। अब तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों के तहत 806 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में इस स्कीम के तहत स्थापित या विस्तारित विनिर्माण इकाइयों की क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। ये स्कीमें सम्पूर्ण भारत में लागू हैं और निवेश स्थल का चयन आवेदकों के विवेक पर निर्भर करता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने-अपने क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों के माध्यम से देश भर में कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल करते हैं, जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्वयं की स्कीमें हैं।

मार्च, 2025 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक

निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित किए गए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

दिनांक 24.06.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 12 क्षेत्रों, नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटकों के लिए 21,534 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 458 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	क्षेत्र	विनिर्माण इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार
1	फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	16	3086
2	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	6	58301
3	दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	13	2759
4	खाद्य उत्पाद	12	24431
5	बल्क ड्रग्स	2	87
6	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	2	113
7	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	8	4236
8	ड्रोन और ड्रोन घटक	3	318
9	आईटी हार्डवेयर 2.0	9	1058
10	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	36	20417
11	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	11	5295
12	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांच I और II)	3	5952
13	एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	1	611
14	विशेष इस्पात	4	647
कुल		**126**	**127311**

*****